संख्या–3131/26–3–2011–10(28)/99–टी0सी0

प्रेषक,

बी0 बी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांकः 17 अक्टूबर, 2011

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–80 के आयोजनेत्तर पक्ष में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता(जिला योजना) योजना के अंतर्गत किये गये आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1081/स0क0/विकास/अनु0जा0शा0बी0/2011–12, दिनांक 20.09.2011 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या–1315(2)/26–3–2011–10(28)/99 दिनांक 11.04.2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–80 के अंतर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की योजना– अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की बिमारी के इलाज तथा प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता(जिला योजना) के अंतर्गत किये गये आय व्ययक प्राविधान रू0 40.00 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 20,00,00,000/– (रूपया बीस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विगत वर्षो में अब तक शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/डिपाजिट खातों आदि में जमा नहीं है तथा पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर उपयोग/उपभोग कर लिया गया है और अवमुक्त धनराशि व्यय हेतु अवशेष नहीं पड़ी है।

(2) वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/2011, दिनांक 21–3–2011 में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(3) उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि का आवश्यकता के अनुरूप ही जनपदवार आवंटन किया जाये। इस प्रकार किये गये जनपदवार आवंटन के आदेश की प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) विगत वर्ष 2010–11 एवं वर्ष 2011–12 में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये।

(5) धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबंधों एवं इस संबंध में निर्गत किये गये समय–समय पर शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि उन्ही जनपदों को आवंटित की जाय, जिन्होने पूर्व निर्गत धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय कर लिया है।

2– उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय व्यय 2011–12 के आय व्ययक में अनुदान सं0–80 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण– 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–05–अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता(जिला योजना)–20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–3–1791/ दस–2011, दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0 बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या– 3131(1)/26–3–2011 तदेदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/ वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–1/2
5– राज्य योजना आयोग अनुभाग–1/2
6– निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
7– सलाहकार,समाज कल्याण,उ0प्र0शासन।
8– गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव